13/संख्या- 1930/बयालिस-2014-33(निर्माण)/2006

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेषक,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 05 अगस्त, 2014**

विषय- **डा0 भीमराव अम्बेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम, मऊ में 56 बेडेड डारमेट्री के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 1260/नि0 मऊ डारमेट्री पत्रा0/2012-13, दिनांक 03-03-2014 एवं पत्र संख्या- जी0- 85/ नि0 मऊ स्टे0 पत्रा0/2014-15, दिनांक 09-05-2014, शासनादेश संख्या- 632/बयालिस-2008-33(निर्माण)/2006, दिनांक 25 मार्च, 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 1220/बयालिस-2014-33(निर्माण)/2006, दिनांक 28 जुलाई, 2014 द्वारा वित्तीय वर्ष- 2014-15 में डा0 भीमराव अम्बेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम, मऊ में 56 बेडेड डारमेट्री के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 102.89 लाख (रू0 एक करोड़ दो लाख नवासी हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके सापेक्ष प्रश्नगत प्रायोजना की अवशेष लागत रू0 37.38 लाख (रू0 सैंतीस लाख अड़तिस हजार मात्र) के दृष्टिगत् एवं लेखानुदान के माध्यम से प्रश्नगत मद में प्राविधानित धनराशि रू0 33.76 लाख में से चार माह हेतु उक्त का 1/3 भाग अर्थात रू0 11.25 लाख (रू0 ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं :-

(1)- उपरोक्त स्वीकृति धनराशि रू0 11.25 लाख (रू0 ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष- 2014-15 में उपलब्ध परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- प्रश्नगत योजना हेतु किसी अन्य स्रोत से धनराशि न दी गयी हों, न ही प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित है, इसे निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शासनादेश संख्या- ई-8-303/दस-06-89/2004, दिनांक 02 मार्च, 2006 के अनुसार सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त् कर ली गयी है।

(4)- स्वीकृत धनराशि का आहरण व्यय की आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(5)- आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(6)- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु पूर्व में निर्गत उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेशों में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2014-15 में अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय- आयोजनागत- 03- खेलकूद तथा युवा सेवा- 800- अन्य व्यय- 25- जिला योजना के अधूरे कार्यों के लिए एकमुश्त बजट व्यवस्था- 24- वृहत् निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- बी-1- 795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में प्रतिनिहित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भुवनेश कुमार)
सचिव।

संख्या- 1930(1)/बयालिस-2014-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी मऊ।
(5)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, आजमगढ मण्डल/क्रीड़ाधिकारी, मऊ।
(6)- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 लिखनऊ।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियमंत्रण) अनुभाग- 5
(9)- नियोजन अनुभाग- 4
(10)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in